बिहार सरकार

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

कतरन संख्या .....

तिथि 201

समाचार-पत्र का नाम ..... दैनिक भास्कर .....

प्रकाशन तिथि ..... 15 JUN 2018 .....

मंत्री/अपर मुख्य सचिव/आयुक्त

..... विभाग

के अवलोकनार्थ

सहायक निदेशक (प्रेस)

रणनीति बनाने में जुटी पुलिस

चुनाव में जिनसे शांति भंग होने का खतरा, उनसे भरवाया जाएगा बॉण्ड

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। इसे देखते हुए राज्य पुलिस आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। पुलिस वैसे लोगों को चिह्नित करेगी, जिनसे चुनाव के दौरान शांति भंग होने का खतरा है। ऐसे लोगों से सीआरपीसी की धारा 107 के तहत बॉण्ड भरवाया जाएगा।

राज्य पुलिस के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने वाले व्यक्तियों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है, ताकि मतदान के दिन वोटरों में किसी प्रकार का भय न हो। राज्यभर में ऐसे लोगों की पहचान कर उनसे धारा 107 के तहत बॉण्ड भरवाया जाएगा। बॉण्ड भरवाने के पीछे मकसद यह है कि चुनाव के दौरान वे किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करेंगे। पुलिस ऐसे लोगों को नोटिस जारी करेगी। इसके बावजूद अगर वे उपस्थित नहीं होते हैं तो वारंट जारी किया जाए।

लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन करेगी पुलिस : इसके अलावा पहले लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन भी करेगी। वैसे लोग जिनसे चुनाव के दौरान शांति भंग होने का खतरा होगा, उनसे चुनाव होने तक लाइसेंसी हथियार जमा कराए जाएंगे। पुलिस निष्पक्ष चुनाव के लिए अभी से रणनीति बना रही है। पिछले लोकसभा व विधानसभा चुनाव के अनुभवों को ध्यान में रख वह हर संभव कदम उठा रही है।

बाहर जाने के लिए लेनी पड़ती है कोर्ट से इजाजत

बॉण्ड भरवाने की कार्रवाई सिविल एसडीओ के कोर्ट से की जाती है। इसके तहत ऐसे व्यक्तियों को 6 माह के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। इस अवधि में बाहर जाने के लिए उन्हें संबंधित थाना और कोर्ट को सूचना देकर इजाजत लेनी होती है। पिछले चुनाव में करीब 2 लाख लोगों से बॉण्ड भरवाया गया था। बॉण्ड भरवाने के अलावा छंटे हुए बदमाश और अपराधियों पर सीसीए लगाने की कार्रवाई भी होगी। क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत जिला बदर और हिरासत में रखने की कार्रवाई होती है।

15/6

(एच० आर० श्रीनिवास)

०मु० (सूचना एवं जनसम्पर्क)-1-ऑफसेट-2,00,000-6.9.2018